

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
इन्दर कुमार पुत्र नटवर लाल जाति धोबी  
निवासी रडावा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/721  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
26/11 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बेडा I स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 कुल खसरा 5 व रकबा क्रमशः 0.0900, 0.1100, 0.1100, 0.2100, 0.1800 हैक्टर कुल रकबा 0.7000 हैक्टर किस्म बारानी दायम व कुल लगान 3.5000 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बेडा I एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार' होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण  
इन्दर कुमार पुत्र नटवर लाल जाति धोबी  
निवासी रडावा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

**किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/72।**  
**वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्तै इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन ग्राम बेडा I स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 कुल खसरा 5 व रकबा क्रमशः 0.0900, 0.1100, 0.1100, 0.2100, 0.1800 हैक्टर कुल रकबा 0.7000 हैक्टर किस्म बारानी दायम व कुल लगान 3.5000 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडा I एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।


बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-11-25 को जारी की गई।



3  
(दिनेश विश्‍नोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

N  
1468  
S

नमशा किरतवार  
ग्राम - बेडा  
प.म- बेडा-I



शुभ पद्मशराम म्हावंशी  
1640  
दिकसा 1/2  
2703/1642

शुभ नवरत्नल डोबी  
दिकसा 1/2  
1641

1661  
1662  
1663  
1664  
1665  
1666  
1667  
1668  
1669  
1670  
1671  
1672  
1673  
1674  
1675  
1676  
1677  
1678  
1679  
1680  
1681  
1682  
1683  
1684  
1685  
1686  
1687  
1688  
1689  
1690  
1691  
1692  
1693  
1694  
1695  
1696  
1697  
1698  
1699  
1700

तहसीलवार (मू.अ.) बाळी